# कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

**//आर.एफ.पी आमंत्रण सूचना//**

**BOT पद्धति से Revenue Sharing Model की तर्ज पर स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में युनिपोल विज्ञापन अधिकार हेतु**

क्रमांक –655/परि.यो.शा./न.पा.नि./2023 भिलाई दिनांक 7/3/2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम भिलाई सीमा क्षेत्र अन्तर्गत बेहतर नागरिक सुविधा हेतु **BOT पद्धति से Revenue Sharing Model** की तर्ज पर स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण **एवं 10 वर्षो तक संचालन–संधारण किये जाने के एवज में युनिपोल के माध्यम से विज्ञापन अधिकार हेतु** इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम भिलाई में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकत दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफा में **दिनांक 28.03.2023** को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक RFP आमंत्रित की जाती है। RFP रहेगी, जिसके अन्तर्गत **लिफाफा 'अ' में** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हुआ हो, (2) RFP प्रपत्र के मूल्य का राशि रू 2000.00 परियोजना शाखा से रसीद कटाकर RFP प्रपत्र प्राप्त किया जा सकेगा। (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) दरदाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रहेगा। (7) टायलेट निर्माण एवं संचालन का अनुभव किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा हो। **लिफाफा 'ब' में** RFP दर डाऊनलोड किये गये RFP प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। RFP दर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, RFP प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा दरदाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। RFP स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। RFP दूसरे दिन उपस्थित दरदाताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष **दिनांक 29.03.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे** को खोली जावेगी। RFP प्रपत्र नगर निगम के मुख्य कार्यालय के परियोजना शाखा से प्राप्त किया जाएगा।

| | |
|---|---|
| RFP प्रपत्र मूल्य | दो हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं |
| RFP अवधि | 10 वर्ष |
| प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि | 120 दिन |

| क. | कार्य का नाम | अमानत राशि |
|---|---|---|
| 1. | **BOT** पद्धति से **Revenue Sharing Model** की तर्ज पर स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण एवं 10 वर्षो तक संचालन–संधारण किये जाने के एवज में यूनिपोल के माध्यम से विज्ञापन अधिकार हेतु दर बाबत्। | 5,00,000/– |

टीपः– RFP का विस्तृत विवरण नियम शर्ते एवं RFP प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट **www.bhilainagarnigam.com** से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये RFP प्रपत्र के साथ रू. 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

कार्यपालन अभियंता
परियोजना शाखा
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः

# RFP प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
भिलाई (छ.ग.)

विषय :– **BOT पद्धति से Revenue Sharing Model की तर्ज पर स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण एवं 10 वर्षो तक संचालन–संधारण किये जाने के एवज में यूनिपोल के माध्यम से विज्ञापन अधिकार हेतु दर बाबत्।**

संदर्भ :– नगर निगम भिलाई द्वारा आमंत्रित RFP कमांक............... दिनांक ................।

–––000–––

| क. | एजेंसी का ऑफर | दर प्रथम वर्ष प्रति वर्ग फीट (राशि रू. में) |
|---|---|---|
| 1. | | |

RFP की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। **जिसके अनुसार RFP दर में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है।** मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

दरदाता एजेन्सी का नाम :–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :–

अमानति राशि रू. 5,00,000/– के एफ.डी.आर.का विवरण :–

**BOT पद्धति से Revenue Sharing Model की तर्ज पर स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण एवं 10 वर्षो तक संचालन–संधारण किये जाने के एवज में युनिपोल विज्ञापन अधिकार हेतु**

**आमंत्रित RFP दिनांक ..............................की शर्ते**

1. निविदा RFP पद्धति से होगा। **लिफाफा 'अ'** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) RFP प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) दरदाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। **लिफाफा 'ब' में RFP दर डाउनलोड किए गए RFP प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों मुें लिखकर** रखना होगा। RFP दरदाता में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा।
2. सशर्त RFP स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. **यह एक Revenue Sharing Model की तरह है, जिसमें एजेंसी सुविधाये बनायेगी तथा 10 वर्षो तक संधारण–संचालन करेगी। इसके लिए उनको विज्ञापन हेतु 5000 वर्गफीट यूनीपोल बनाने एवं उस पर विज्ञापन का अधिकार दिया जायेगा तथा एजेंसी Revenue नगर निगम को Share करेगी।**
5. RFP हेतु प्रत्येक दरदाता को एक RFP फार्म भरना होगा, जिसमें अलग–अलग स्मार्ट टॉयलेट हेतु अलग–अलग RFP दर भरना होगा। प्रत्येक टॉयलेट स्थल के लिए जिस भी दरदाता द्वारा अधिकतम् दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल दरदाता माना जायेगा अर्थात् अलग–अलग टॉयलेट स्थल हेतु अलग–अलग सफल दरदाता हो सकते है।
6. **स्मार्ट टॉयलेट पर बी.ओ.टी. (Built Operate & Transfer) के आधार पर विज्ञापन का अधिकार के लिए RFP, 10 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है। अवधि समाप्ति पश्चात् सभी स्थापित स्मार्ट टॉयलेट स्वमेव नगर निगम भिलाई को हस्तांतरित हो जायेंगे।**
7. अनुबंध 10 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक RFP दर में 5 प्रतिशत की कमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा।
8. **दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा RFP निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु RFP प्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा।**

कमशः

कार्यादेश जारी दिनांक से एक निश्चित अवधि टॉयलेट के निर्माण एवं यूनीपोल की स्थापना हेतु दी जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है –
समयावधि – 04 माह

तत्पश्चात् अर्थात् यूनीपोल स्थापना हेतु दी गई अवधि समाप्ति दिनांक के दूसरे दिन से किराया लागू माना जावेगा। स्थल उपलब्धता के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर, RFP प्राप्तकर्ता एजेंसी को इसकी सूचना कार्यादेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अवधि में प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में नगर निगम भिलाई जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित RFP राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

9. RFP 10 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु RFP राशि RFP प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी। RFP स्वीकार होने पर प्रथम वर्ष का किराया अनुबंध के पूर्व दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर 30% राशि जमा करना अनिवार्य है भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर RFP निरस्त करने का अधिकार नगर निगम भिलाई को होगा। ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों का मालिकाना हक नगर निगम का होगा।
10. यदि स्मार्ट टॉयलेट की संख्या किन्ही कारणों से बढ़ायी या घटायी जाती है, तो अनुपातिक ढंग से RFP राशि की गणना की जायेगी।
11. किन्ही अपरिहार्य कारणों से स्मार्ट टॉयलेट लगाने का कार्य निरस्त किया जाता है, तो अमानति राशि वापस की जायेगी, किन्तु सफल दरदाता को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
12. टॉयलेट निर्माण हेतु स्थल लगभग 700 से 1000 वर्गफीट नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
13. निर्मित शौचालयों में पांच पुरूष हेतु, पांच महिला, एक बच्चे, एक तृतीय लिंग, पांच यूरिनल पॉट, की व्यवस्था होगी। एक शौचालय विकलांगों के लिये भी होगी। विकलांगो के सुविधापूर्वक आवागमन हेतु रैम्प का निर्माण किये जाने का प्रावधान किया जाना होगा।
14. शौचालय में वॉश बेसिन एक पुरूष क्षेत्र के लिए एवं एक महिला क्षेत्र के लिए, शौचालय के सामने प्लांटेशन किया जाना होगा। बेबी फिडिंग रूम का प्रावधान देना होगा। वेटिंग लॉच में सोफा, टेलीविजन इत्यादि लगाया जाना होगा। एयर कंडिशिनिंग की व्यवस्था होनी चाहिएं। शेष अन्य सुविधाएं भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत योजना मिशन अन्तर्गत ओ.डी.एफ.++ पोटोकॉल के तहत किया जाना होगा।
15. विज्ञापन माध्यम से के रूप में यूनीपोल स्थापित किया जाना है। इस हेतु स्थापित किये जाने वाले यूनीपोल का स्ट्रक्चरल डिजाइन नगर निगम में पंजीकृत सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराने की जिम्मेदारी दरदाता की होगी तथा उन्हें यूनीपोल की डिजाइन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र एन.आई.टी./जी.ई.सी., भिलाई से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
16. किसी भी RFP को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित है।
17. यूनीपोल आंधी–तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में दरदाता को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनबन्ध 50 रूपयें के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

कमशः

18. यूनीपोल स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य दरदाता को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष करना होगा तथा प्रतिवर्ष संधारण कार्य करने की जानकारी देना होगा।
19. यूनीपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल दरदाता एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन दरदाता को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
20. RFP प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा यूनीपोल स्थापित करने एवं उस पर प्रचार–प्रसार करने के अधिकार को बिना सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
21. टायलेट निर्माण हेतु स्थान नगर निगम द्वारा दी जा रही है, इस निविदा के माध्यम से यूनिपोल के स्थानों की सूची भी इस निविदा में दी जा रही है। आवश्यकतानुसार स्थल परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, भिलाई को होगा।
22. अन्य दूसरें विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
23. दरदाता एजेंसी स्थापित यूनीपोल में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
24. स्थापित यूनीपोल को किन्ही कारणों से अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में दरदाता एजेंसी को स्वयं के व्यय से निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थापित करना होगा।
25. दरदाता किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो ।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
27. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की RFP स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका एफ.डी.आर. RFP अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगीं।
28. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, भिलाई मुख्य कार्यालय के परियोजना शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
29. RFP दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।
30. कार्य को बढ़ाने अर्थात् अतिरिक्त स्थान पर कराने का आदेश आयुक्त, नगर निगम दे सकेंगे। एजेंसी को मानना होगा।
31. निगम क्षेत्र में यूनिपोल हेतु प्रदाय स्थल के अतिरिक्त स्थल में ही यूनिपोल लगाने की स्वीकृति प्रदाय की जावेगी।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

| | | |
|---|---|---|
| कार्यपालन अभियंता<br>नगर पालिक निगम भिलाई | सहायक अभियंता<br>नगर पालिक निगम भिलाई | उप अभियंता<br>नगर पालिक निगम भिलाई |